## कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित **श्री चन्द्रभानु, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी **सर्वश्री सिल्वर मून ऑयल कारपोरेशन, 119 / 408, दर्शन पुरवा, कानपुर।**
प्रार्थना पत्र संख्या **85 / 11**
प्रार्थी की ओर से **श्री हरिओम गुप्ता, अधिवक्ता।**

**उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय**

1. व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-85 / 11, दिनांक 12.09.11 प्रस्तुत किया गया है जिसके माध्यम से **बायो फ्यूल ऑयल** पर कर की दर जाननी चाही गयी है ?

2. फर्म की ओर से श्री हरिओम गुप्ता, अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा बताया गया कि उनकी फर्म असिस्टेंट कमिश्नर, खण्ड-23, कानपुर में पंजीकृत है तथा टिन नम्बर-09537513563 है। अवगत कराया कि सम्बन्धित फर्म बायो फ्यूल ऑयल के निर्माण व बिक्री का कार्य करना चाहती है तथा फर्म द्वारा बायो फ्यूल ऑयल का निर्माण पिच ऑयल (Pitch Oil) तथा क्रियोसेट ऑयल (Cresote Oil) के मिश्रण द्वारा निर्माण की प्रक्रिया से बनाया जायगा। उक्त बायो फ्यूल ऑयल के मुख्य अवयव में 85% से 90% तक पिच ऑयल होता है तथा निर्मित बायो फ्यूल ऑयल का मुख्यत: उपयोग भट्ठी जलाने आदि के काम में आता है। अवगत कराया कि चूँकि बायो फ्यूल ऑयल के निर्माण में प्रयुक्त दोनों वस्तुएं पिच ऑयल (उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-ग की प्रविष्टि संख्या-146) तथा क्रियोसेट ऑयल (उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-ग की प्रविष्टि संख्या-31) उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची में सम्मिलित हैं तथा इन दोनों पर कर की दर 4% है अत: उससे बने समिश्रण पर भी 4% की दर से करदेयता होनी चाहिए।

3. एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन द्वितीय के पत्रांक-990, दिनांक 01.11.11 द्वारा आख्या प्रेषित की गयी है जिसके अनुसार व्यापारी का यह तर्क मानने योग्य नहीं है कि उनके द्वारा निर्मित वस्तु के निर्माण में प्रयुक्त रॉ मैटेरियल पर चूँकि 4% की करदेयता है अत: निर्मित समिश्रण पर भी 4% की करदेयता होनी चाहिए। बायो फ्यूल ऑयल उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की किसी भी शिड्यूल में वर्गीकृत नहीं है अत: इस पर अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% की दर से करदेयता होनी चाहिए।

4. मेरे द्वारा व्यापारी के प्रार्थना-पत्र, पत्रावली एवं अभिलेखों आदि का परिशीलन किया गया। पाया गया कि पिच ऑयल एवं क्रियोसेट ऑयल के मिश्रण से एक नई वस्तु निर्मित होती है तथा जिसे व्यापार जगत में बायो फ्यूल ऑयल के नाम से जाना जाता है। पिच ऑयल व क्रियोसेट ऑयल को मिलाने के पश्चात् उसे एक निर्माण की प्रक्रिया से गुजरना होता है जिसके पश्चात् अन्तिम उत्पाद बायो फ्यूल ऑयल के रूप में प्राप्त होता है। बायो फ्यूल ऑयल उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-1, 2, 3 एवं 4 किसी में वर्गीकृत नहीं है। अत: **बायो फ्यूल ऑयल** पर अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% (अतिरिक्त कर अतिरिक्त) की दर से करदेयता निर्धारित की जाती है।

5. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 15 नवम्बर, 2011

ह0 / 15.11.11
**(चन्द्रभानु)**
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ,लखनऊ।